

14.12.2025

वाद पत्र, वादी राधेश्याम की और से श्री मुकेश खारोल एडवोकेट की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की जर्ने रजिस्टर्ड एडी के तलबी सम्मन से की जावे। मिसल वास्ते तलबी इंतजार में दिनांक 18.12.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
दीगोद

18.12.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जाराग उप०। प्रतिवादी पत्र। की ओर से श्री ओपेन्द्रगण सिव. द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें शामिल पत्रावली किया गया तथा पत्रावली 2 की ओर से श्री सुरेश्वर गधीच द्वारा P.T. की गई। पत्रावली वास्ते जवाब देने दिनांक 19.12.25 की पेश हो।

U.T. प्रतिवादी  
पत्र 2  
18.12.25

19.12.25

पत्रावली पेश हुई तबिल पञ्जाराग उप० नहीं है। वादी आधी० को आज्ञा लगायी गयी परन्तु उप० नहीं है। वादी स्वयं को आज्ञा लगायी गयी परन्तु उप० नहीं है। वादी आधी० स्वयं वादी को बार-बार आज्ञा लगायी परन्तु उप० नहीं है। पत्रावली को इंतजार में रखवाया गया। पत्रावली को पुनः रखवाया गया। वादी आधी० स्वयं वादी को पुनः आज्ञा लगायी गयी। परन्तु उप० नहीं हुआ। वादी आधी० स्वयं वादी स्वयं को उप० नहीं है। पत्रावली को अदालत पर्यकी रखवाया गया।

कापरी में खरीज विद्या जल ही पानी  
कोनल शुभल होना कारील कर ही  
निर्णय आज दिवस 13/12/2025 को  
मेरे इजलास सुनाया गया